



'महाराष्ट्र में टोटल वयस्क जनसंख्या से ज्यादा वोटर कैसे हो गये?'

राहुल गांधी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा, चुनाव आयोग से

-डॉ. सतीश पिथा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 फरवरी। देश के चुनावी तंत्र से संबंधित चिंता को स्वर देते हुये, कांग्रेस, शिव सेना (यूपीटी) तथा एसपीआई (एसपी) ने आज महाराष्ट्र की मतदाता सूचीयों में अनियमितताओं को रेखांकित किया और कहा कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बीच, राज्य में कुल 39 लाख मतदाता जोड़े गये।

अप्रतिशाशित रूप से त्वरित प्रतिक्रिया देते हुये, चुनाव आयोग ने कहा कि वह इसका जवाब लिखित में देगा।

यहाँ एक संयुक्त प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुये, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोर देते हुये कहा कि महाराष्ट्र में पिछले दोनों चुनावों के बीच जोड़े गये कुल मतदाताओं की संख्या हिमाचल की जनसंख्या से ज्यादा है।

- राहुल ने कहा, सरकारी आकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 9.54 करोड़ वयस्क हैं, जो वोट करने का अधिकार रखते हैं, परन्तु, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ मतदाता बताये गये हैं।
- राहुल ने यह भी कहा कि, लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के पांच महीने के अंतराल में 39 लाख नाम जोड़े गये वोटर लिस्ट में। यह संख्या हिमाचल की जनसंख्या से ज्यादा है।
- पर, इससे पहले 2019 व 2024 के बीच पांच साल में कुछ 32 लाख की वृद्धि हुई थी, वोटरों की संख्या में। यह पांच साल की वृद्धि, विधानसभा चुनाव के पहले के पांच महीनों में हुई वृद्धि से कम है।
- राहुल का यह भी दावा है कि वोटर संख्या में हुई वृद्धि केवल भाजपा के वोट शेयर में हुई, कॉंग्रेस, शिव सेना, पंजाब की पार्टी के गठबंधन ने अपना वोट शेयर तो बढ़ाकर रखा।
- राहुल ने चुनाव आयोग से विधानसभा व लोकसभा की वोटर लिस्ट मांगी, जो उन्हें अभी तक नहीं मिली है, अतः वे अब इस मुद्दे पर न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे।

हम पिछले कुछ समय से इस पर काम "अनियमिताएं" मिली हैं। देश और देश और देश कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, हमें अनेक खासीर से युवाओं, जो लोकतंत्र में

हाई कोर्ट ने हैरिटेज मेयर के निलम्बन पर जवाब मांगा

जयपुर, 7 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले जारी करने की घोषणा में रिश्ते से जुड़े मामले में हैरिटेज नगर निगम के मेयर पद से मुनेश गुर्जर की निर्वाचित करने के मामले में राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

जरिस्टस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने ये आदेश मुनेश गुर्जर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता को न तो प्राथमिक जांच से पहले सुनवाई का मौका दिया गया और न ही निलम्बन से पहले जवाब

'गाउन बदल जाने से कोई विशेष अधिकार या लाभ नहीं मिलते'

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों को "सीनियर एडवोकेट" की पदवी देने को गैर कानूनी मानने से इन्कार किया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को जुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने 70 वकीलों को सोनियर एडवोकेट की पदवी देने का निर्णय लिया था।

जरिस्टस महेन्द्र गोयल ने मुनेश गुर्जर की याचिका पर राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने को कहा।

पेश करने का समय दिया गया। राज्य सरकार की यह कारबाई प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के खिलाफ है।

याचिकाकर्ता को कारण बताए नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया। जबकि अगले तीन दिनों तक सार्विक अवकाश था और चौथे दिन उसे निर्वाचित कर दिया गया। इसलिए उसके बालंबन आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कुछ वकीलों को "सीनियर एडवोकेट" की पदवी देने से वकीलों में असमानतापूर्ण नपती है, जो संविधान की दृष्टि से गलत है, कानून की दृष्टि में सभी वकील बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क स्वीकार करते हुए याचिका रद्द कर दी।

कि इस कोर्ट में किसी को सिर्फ वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब नेतृत्वपारा ने त्वरित न्याय के वर्तमान के उसके गांउने के आवधार पर विशेष सुविधा नहीं दी जाती है। लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह दी, तो पीठ ने टिप्पणी की। जरिस्टस बी.आर. गवई और जरिस्टस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेतृमुख्यमंत्री और चौथे दिन तक सार्विक अवकाश था और चौथे दिन तक निर्वाचित कर दिया गया। इसलिए उसके बालंबन आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया।

पीठ ने कहा, "हमें नहीं लगता

वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

जब नेतृत्वपारा ने त्वरित न्याय के वर्तमान के उसके गांउने के आवधार पर विशेष सुविधा नहीं दी जाती है।

लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह दी, तो पीठ ने टिप्पणी की। जरिस्टस बी.आर. गवई और जरिस्टस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेतृमुख्यमंत्री और चौथे दिन तक सार्विक अवकाश था और चौथे दिन तक निर्वाचित कर दिया गया। इसलिए उसके बालंबन आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया।

पीठ ने कहा, "न्यायाधीश भी इसान होते हैं।

यह विशेष सुविधा नहीं होती।

जब नेतृत्वपारा ने त्वरित न्याय के वर्तमान के उसके गांउने के आवधार पर विशेष सुविधा नहीं दी जाती है।

सुनवाई के दौरान, नेतृमुख्यमंत्री को सालाह दी, तो पीठ ने टिप्पणी की। जरिस्टस बी.आर. गवई और जरिस्टस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेतृमुख्यमंत्री और चौथे दिन तक सार्विक अवकाश था और चौथे दिन तक निर्वाचित कर दिया गया। इसलिए उसके बालंबन आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया।

पीठ ने कहा, "न्यायाधीश भी इसान होते हैं।

यह विशेष सुविधा नहीं होती।

जब नेतृत्वपारा ने त्वरित न्याय के वर्तमान के उसके गांउने के आवधार पर विशेष सुविधा नहीं दी जाती है।

लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह दी, तो पीठ ने टिप्पणी की। जरिस्टस बी.आर. गवई और जरिस्टस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेतृमुख्यमंत्री और चौथे दिन तक सार्विक अवकाश था और चौथे दिन तक निर्वाचित कर दिया गया। इसलिए उसके बालंबन आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया।

पीठ ने कहा, "न्यायाधीश भी इसान होते हैं।

यह विशेष सुविधा नहीं होती।

जब नेतृत्वपारा ने त्वरित न्याय के वर्तमान के उसके गांउने के आवधार पर विशेष सुविधा नहीं दी जाती है।

लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह दी, तो पीठ ने टिप्पणी की। जरिस्टस बी.आर. गवई और जरिस्टस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेतृमुख्यमंत्री और चौथे दिन तक सार्विक अवकाश था और चौथे दिन तक निर्वाचित कर दिया गया। इसलिए उसके बालंबन आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया।

पीठ ने कहा, "न्यायाधीश भी इसान होते हैं।

यह विशेष सुविधा नहीं होती।

जब नेतृत्वपारा ने त्वरित न्याय के वर्तमान के उसके गांउने के आवधार पर विशेष सुविधा नहीं दी जाती है।

लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह दी, तो पीठ ने टिप्पणी की। जरिस्टस बी.आर. गवई और जरिस्टस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज

